समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

(सेकेण्डरी एजुकेशन)
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल 462023

क्र./स.शि.अ./IT CELL/2025–26 /72 **भोपाल, दिनांक– 26/03/2026**

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिलें म.प्र.।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कार्यरत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाएं दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक लिए जाने संबंधी संदर्भित पत्र निरस्त करने विषयक।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/आई.टी. सेल/कम्प्यू इंस्ट्र./2026/1320 दिनांक 25/03/2026।

––00––

विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान की योजना वर्ष 2025–26 तक के लिए स्वीकृत है। वर्ष 2026–27 के लिए समग्र शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए। अतः ऐसी स्थिति में विगत वर्ष 2025–26 द्वारा स्वीकृत राशि माह– मार्च 2026 तक के लिए उपलब्ध होने के कारण कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एजुकेटर की सेवाएं दिनांक 31.03.2026 तक ली जा सकेंगी।

संदर्भित पत्र से शैक्षणिक सत्र 2025–26 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाएं 30.04.2026 तक लेने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त संदर्भित पत्र पैरा–1 के आधार पर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 31/03/2026 के पश्चात किसी भी विद्यालय में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कार्यरत होगा तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

26/3/26
(मनीष वर्मा)
अपर संचालक
समग्र शिक्षा (सेकेण्ड्री एजुकेशन)

पृ. क्र./स.शि.अ./ IT CELL /2025–26 /73 **भोपाल, दिनांक– /03/2026**

प्रतिलिपिः–

1. सचिव म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, समस्त संभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
समग्र शिक्षा (सेकेण्ड्री एजुकेशन)